



215hi03

पाठ्यक्रम II

अधिकतम अंक

15

अध्ययन के घंटे

35

व्यावसायिक संगठनों के प्रकार

आकार, स्वामित्व तथा प्रबन्धन आवश्यकताओं के आधार पर व्यापारिक इकाइयों का एक निश्चित संगठनात्मक आकार/ढांचा होता है।

इस मोड्यूल का अध्ययन करने के पश्चात्, अध्ययनकर्ता व्यापारिक इकाइयों को विभिन्न व्यापारिक संगठनों में विभाजित कर सकेगा, जैसे कि - एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्म, हिन्दू अविभाजित परिवार, सहकारी समितियां तथा संयुक्त पूँजी कम्पनियां।

- पाठ 3 : एकल स्वामित्व, साझेदारी तथा हिन्दू अविभाजित परिवार
पाठ 4 : सहकारी समितियां तथा संयुक्त पूँजी कम्पनियां



3

एकल स्वामित्व, साझेदारी तथा हिन्दू अविभाजित परिवार

हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदने बाजार जाते हैं। बाजार में छोटी-बड़ी हर तरह की दुकानें होती हैं। कुछ लोग सड़क के किनारे सब्जियां, मूंगफली या अखबार बेचते हैं, तो कहीं फुटपाथ पर जूतों की मरमत करता हुआ मोची होता है। आप अपनी बस्ती में ऐसी अनेक दुकानों को प्रतिदिन देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह जानने का प्रयत्न किया है कि इन दुकानों का कारोबार कैसे चलता है? इन दुकानों का मालिक कौन है? कोई मालिक किसी व्यवसाय के लिए क्या करता है? आप कहेंगे कि दुकान का मालिक व्यवसाय आरंभ करने के लिए पूँजी लगाता है और इसे चलाने के लिए सारे निर्णय लेता है। व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के काम का प्रबंध करता है और इस व्यवसाय के लाभ और हानि का उत्तरदायी भी वही होता है। आपने बिल्कुल ठीक समझा। किसी व्यवसाय का मालिक बिल्कुल यही करता है। अगर आप व्यवसाय के बारे में अधिक विस्तार से जानना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ व्यवसायों में ये सारे कार्य एक ही व्यक्ति करता है और कुछ में कई लोग मिल कर ये सारे कार्य करते हैं। पहले वाले को एकल स्वामित्व कहते हैं। कुछ व्यावसायिक इकाइयों में व्यक्ति व्यवसाय के स्वामी बनने हेतु एकजुट होते हैं तथा लाभ-हानि आपस में बाँटते हैं। यह व्यावसायिक संगठन का एक अन्य स्वरूप है जिसे साझेदारी कहते हैं। व्यावसायिक संगठन का एक अन्य स्वरूप संयुक्त हिन्दू परिवार है जिसमें परिवार के पास पूर्वजों से मिली कुछ संपत्ति होती है। इसे हिन्दू अविभाजित परिवार व्यवसाय कहते हैं।

इस पाठ में हम व्यावसायिक संगठनों के इन स्वरूपों के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करेंगे।



उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप

- व्यावसायिक संगठन के एकल स्वामित्व स्वरूप का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे;
- व्यावसायिक संगठन के एकल स्वामित्व स्वरूप की विभिन्न विशेषताएं बता सकेंगे;
- व्यावसायिक संगठन के एकल स्वामित्व के गुण-दोषों का वर्णन कर सकेंगे;
- साझेदारी का अर्थ समझ सकेंगे;

पाठ्यक्रम - II

व्यवसायिक संगठनों के प्रकार



टिप्पणी

एकल स्वामित्व, साझेदारी तथा हिन्दू अविभाजित परिवार

- व्यवसायिक संगठन के साझेदारी स्वरूप की विशेषताओं को जान सकेंगे;
- व्यवसाय के संगठन के साझेदारी स्वरूप के लाभ एवं सीमाओं का वर्णन कर सकेंगे;
- सीमित दायित्व साझेदारी की संकल्पना की व्याख्या कर सकेंगे; और
- विशेषताओं, गुण तथा दोषों सहित संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय की व्याख्या कर सकेंगे।

3.1 एकल स्वामित्व का अर्थ

एकल स्वामित्व का अर्थ है—एक व्यक्ति का स्वामित्व। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही व्यक्ति व्यवसाय का स्वामी होता है। इस प्रकार एकल स्वामित्व वह व्यापार संगठन है, जिसमें एक ही व्यक्ति स्वामी होता है और व्यवसाय से संबंधित सभी कार्यकलापों का प्रबंधन और नियंत्रण उसी के हाथ में होता है। एकल व्यवसाय के स्वामी और संचालक 'एकल स्वामी' या 'एकल व्यवसायी' कहलाते हैं। एकल व्यवसायी अपने व्यवसाय से संबंधित सभी संसाधनों को जुटाकर उन्हें योजनाबद्ध ढंग से व्यवस्थित करता है तथा लाभ कमाने के एकमात्र उद्देश्य से सारी गतिविधियों का संचालन करता है।



एकल स्वामित्व

3.2 एकल स्वामित्व की विशेषताएं

एकल स्वामित्व व्यवसाय स्वरूप की निम्नलिखित विशेषताएं हैं -

- स्थापना में सरल :** एक आदर्श संगठन की स्थापना में सरलता होनी चाहिए। सरल स्थापना का अभिप्राय है कानूनी तथा अन्य औपचारिकताओं का न्यूनतम होना। एकल स्वामित्व की स्थापना सरल है।
- एकल स्वामित्व :** एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय का स्वामी एक ही व्यक्ति होता है। यह व्यक्ति ही व्यवसाय से संबंधित सभी संपत्तियों का स्वामी होता है और यही सारे जोखिम उठाता है। इसलिए एकल स्वामित्व व्यवसाय स्वामी की मृत्यु के साथ या स्वामी की इच्छा से समाप्त हो जाता है।
- लाभ-हानि में भागीदार नहीं :** एकल स्वामित्व व्यवसाय से प्राप्त संपूर्ण लाभ स्वामी का होता है। यदि हानि हो जाए, तो उसका भार भी स्वामी को ही उठाना होता है। एकल स्वामित्व में हुए हानि-लाभ में स्वामी का कोई और भागीदार नहीं होता।
- एक व्यक्ति की पूंजी :** एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में एक ही व्यक्ति पूंजी जुटाता है। वह इसके लिए अपने पास से पैसे जमा करता है या फिर मित्रों और संबंधियों से ऋण लेता है। आवश्यकता पड़ने पर वह बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से भी ऋण ले सकता है।

- v) **एक व्यक्ति का नियंत्रण** : एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय का नियंत्रण सदैव स्वामी के हाथों में होता है। वही व्यापार के संचालन से संबंधित सारे फैसले लेता है।
- vi) **असीमित देनदारी** : एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय के स्वामी की देनदारी असीमित होती है। इसका अर्थ यह है कि हानि की स्थिति में व्यवसाय की देनदारियां चुकाने के लिए व्यवसाय की संपदा या उसकी निजी संपत्ति बेचनी पड़ सकती है।

3.3 एकल स्वामित्व के लाभ

हमारे देश में एकल स्वामित्व बहुत प्रचलित है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं :

- i) **स्थापित करने तथा समाप्त करने में सरल** : एकल स्वामित्व को स्थापित करना बहुत ही सरल है। बहुत कम पूंजी से व्यवसाय प्रारम्भ किया जा सकता है। कानूनी औपचारिकताएं बहुत कम हैं, जैसे- व्यापार को स्थापित करना सरल है उसी प्रकार उसे बंद/समाप्त करना बहुत आसान है। यह स्वामी का अपना स्वयं का निर्णय होता है कि वह व्यापार को कभी भी बंद कर सकता है।
- ii) **अधिक लाभ के लिए प्रेरित करना** : एकल स्वामित्व द्वारा अर्जित लाभ सीधा एकल स्वामी को जाता है जबकि हानि का जोखिम भी वह स्वयं ही उठाता है। अतः परिश्रम तथा लाभ हानि का सीधा सम्बंध है। इसलिये यदि वह अधिक परिश्रम करेगा तो उसे अधिक लाभ होगा और यदि नहीं तो नहीं। यह, एकल स्वामी को अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा देता है।
- iii) **शीघ्र निर्णय तथा उचित कार्यवाही** : एकल स्वामित्व में व्यापार में स्वामी ही सही और गलत का निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि निर्णय लेने में किसी अन्य की साझेदारी नहीं होती इसलिए यह सही और तुरन्त निर्णय लेने में सहायक होता है।
- iv) **उत्तम नियंत्रण** : एकल स्वामित्व के व्यापार में, व्यापार के प्रत्येक कार्यकलापों पर स्वामी का नियंत्रण रहता है। वही योजना को बनाता है तथा वही उसे संगठित करता है। समन्वय कर्ता प्रत्येक कार्यकलाप पर अच्छे से अच्छा नियंत्रण तथा देखभाल कर सकता है क्योंकि वही एकमात्र स्वामी होने के नाते उसके पास पूरे अधिकार होते हैं।
- v) **व्यापार की गोपनीयता को संजोकर रखता है** : व्यापार में एकल स्वामित्व में स्वामी अपनी योजनाओं और कार्यकलापों को स्वयं अपने नियंत्रण में रख सकता है, क्योंकि वहीं प्रबन्ध करता है और नियंत्रण करता है उसे किसी और को अपनी सूचना का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।
- vi) **घनिष्ठ व्यक्तिगत सम्बंध** : व्यापार में एकल स्वामी ही एकमात्र व्यक्ति होता है जो ग्राहकों तथा कर्मचारियों से घनिष्ठ एवं मधुर सम्बंध बना सकता है। ग्राहकों से सीधा सम्पर्क/सम्बन्ध उसे ग्राहक की पसंद अथवा नापसंद को जानने में सहायक होते हैं। यह कर्मचारियों से भी घनिष्ठ एवं मधुर सम्बंध बनाने में मदद करता है तभी तो व्यापार सुगमता से चलता है।



पाठ्यक्रम - II

व्यवसायिक संगठनों के प्रकार



टिप्पणी

एकल स्वामित्व, साझेदारी तथा हिन्दू अविभाजित परिवार

- vii) **स्व: रोजगार देना :** एकल स्वामित्व व्यक्तियों को स्वयं रोजगार के अवसर प्रदान करता है। वह स्वयं ही सेवायोजित नहीं होता। बल्कि औरों को भी रोजगार उपलब्ध कराता है। आपने देखा होगा कि विभिन्न दुकानों पर कई लोग कार्य करते हैं जो मालिक की माल विक्रय में मदद करते हैं। इस प्रकार यह देश में बेरोजगारी और निर्धनता दूर करने में भी मददगार है।

3.4 एकल स्वामित्व की सीमाएं

ऊपर बताए गए गुणों के कारण एक व्यक्ति द्वारा संचालित व्यवसाय संगठन व्यवसाय का सबसे अच्छा स्वरूप है। लेकिन अन्य संगठनों के समान इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। आइए इन सीमाओं का अध्ययन करें :

- सीमित पूँजी :** एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय में केवल स्वामी ही पूँजी लगाता है। एक व्यक्ति के लिए अधिक पूँजी लगाना प्रायः कठिन होता है। स्वामी की अपनी पूँजी और कर्ज पर ली गई पूँजी कभी-कभी व्यापार को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं हो पाती।
- निरंतरता का अभाव :** एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय संगठन का अस्तित्व स्वामी के जीवन पर निर्भर है। जब भी एकल स्वामी इससे सम्बन्ध विच्छेद करने का निर्णय लेगा अथवा उसकी मृत्यु हो जायेगी तो व्यवसाय बंद हो जाएगा।
- सीमित आकार :** एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय संगठन में एक सीमा से आगे व्यवसाय का विस्तार करना कठिन होता है। यदि व्यापार एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ जाएगा तो एक अकेले व्यक्ति के लिए उसकी देखभाल करना और प्रबंध करना हमेशा संभव नहीं होता।
- प्रबंधन सम्बंधी विशेषज्ञता का अभाव :** एकल स्वामी प्रबंध के सभी पहलुओं में कुशल नहीं हो सकता है। वह प्रशासन और नियोजन में दक्ष हो सकता है, लेकिन विपणन में कमजोर हो सकता है।



पाठगत प्रश्न 3.1

एकल स्वामित्व से संबंधित निम्नलिखित कथनों के खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरिए।

- एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय का मालिक, व्यवसाय के विस्तार के लिए पर्याप्त _____ की व्यवस्था नहीं कर सकता है।
- व्यवसाय का अस्तित्व _____ के अस्तित्व पर निर्भर करता है।
- सीमित वित्तीय संसाधनों और विशेषज्ञता की सीमा के कारण व्यापार में पेशावर _____ का अभाव हो सकता है।
- यह व्यवसाय संगठन ऐसे सरल व्यवसाय के लिए उपयुक्त है, जहां _____ कौशल की आवश्यकता है।
- एकल स्वामित्व ऐसे बाजारों में ग्राहकों की जरूरतों को संतुष्ट करता है, जहां उत्पादों का बाजार _____ और _____ होता है।

3.5 साझेदारी का अर्थ

आपने पढ़ा है कि एकल स्वामित्व व्यावसायिक संगठन की कुछ सीमाएं होती हैं। इसके वित्तीय और प्रबंधाकीय संसाधन बहुत सीमित होते हैं। एक निश्चित सीमा से आगे इस व्यवसाय का विस्तार करना भी संभव नहीं है। एकल स्वामित्व व्यावसायिक संगठन की इन्हीं सीमाओं से निपटने के लिए साझेदारी व्यवसाय अस्तित्व में आया है। आइए पहले यह जानकारी कि साझेदारी किसे कहते हैं।



साझेदारी व्यवसाय का एक दृश्य

मान लीजिए कि आप अपने इलाके में एक रेस्तराँ खोलना चाहते हैं। इसके लिए आपको पूँजी, काम करने वाले लोग, स्थान, बर्तन और कुछ अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होगी। आपको लगा कि आप इसके लिए आवश्यक सारा धन नहीं जुटा पाएंगे और न ही आप इस काम को अकेले कर पाएंगे। इसलिए आपने अपने दोस्तों से बात की और उनमें से तीन व्यक्ति आपके साथ मिलकर इस रेस्तराँ को चलाने के लिए तैयार हो गए। वे तीनों रेस्तराँ चलाने के लिए कुछ पूँजी और कुछ दूसरी वस्तुओं की व्यवस्था करने के लिए भी तैयार हो गए। इस प्रकार आप चारों मिलकर रेस्तराँ के स्वामी बने और होने वाले लाभ हानि को भी आपस में बांटने के लिए तैयार हो गए। यह व्यावसायिक संगठन का एक अन्य स्वरूप है, जिसे साझेदारी कहते हैं।

यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है, जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से एक व्यावसायिक उद्यम का गठन किया जाता है। वे व्यक्ति जो एक साथ मिलकर व्यवसाय करते हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से 'साझेदारी' और सामूहिक रूप से 'फर्म' कहा जाता है। जिस नाम से व्यवसाय किया जाता है उसे 'फर्म का नाम' कहते हैं। सुलतान एंड कंपनी, रामलाल एंड कंपनी, गुप्ता एंड कंपनी आदि कुछ फर्मों के नाम हैं।

साझेदारी फर्म भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रित होती है। भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का आपसी संबंध है, जो उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक साझेदार द्वारा संचालित व्यवसाय का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं।

3.6 व्यावसायिक संगठन के साझेदारी स्वरूप की विशेषताएं

साझेदारी के बारे में संक्षिप्त जानकारी के पश्चात् आइए संगठन की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन करें :

- दो या अधिक सदस्य :** साझेदारी व्यवसाय के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। परंतु बैंकिंग व्यवसाय में यह संख्या 10 से और साधारण व्यवसाय में 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए।





- ii) **अनुबंध** : जब भी आप साझेदारी व्यवसाय शुरू करने के लिए दूसरों को साथ लेते हैं तो आप सबके बीच समझौता या अनुबंध होना जरूरी है। इसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित होती हैं :
- प्रत्येक साझेदार द्वारा विनियोग की जाने वाली पूँजी की राशि;
 - लाभ-हानि के बंटवारे का अनुपात;
 - साझेदार को दिया जाने वाला वेतन या कमीशन (यदि दिया जाना हो);
 - व्यवसाय की अवधि;
 - फर्म तथा साझेदारों के नाम और पते;
 - प्रत्येक साझेदार के अधिकार और कर्तव्य;
 - व्यवसाय का स्वरूप और स्थान;
 - व्यवसाय के संचालन के लिए अन्य कोई भी शर्त।
- iii) **वैध-व्यवसाय** : साझेदारों को सदैव वैध-व्यवसाय चलाने के लिए ही एक साथ कार्य करने चाहिए। तस्करी, काला बाजारी इत्यादि को कानून दृष्टि से साझेदारी व्यवसाय नहीं माना जा सकता।
- iv) **लाभ विभाजन** : प्रत्येक साझेदारी फर्म का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय से होने वाले लाभ को तय किए गए अनुपात के अनुसार बांटना है। यदि साझेदारों में इस संबंध में कोई समझौता नहीं हुआ है तो लाभ साझेदारों में बराबर-बराबर बांटा जाता है।
- v) **असीमित देनदारी** : एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय की तरह साझेदारी व्यवसाय में भी सदस्यों की देनदारी असीमित होती है। इस प्रकार यदि व्यवसाय के दायित्वों का भुगतान करने के लिए फर्म की सम्पतियां अपर्याप्त है, तो इसके लिए साझेदारों की निजी संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है।
- vi) **स्वैच्छिक पंजीकरण** : साझेदारी फर्म का पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं है। हां, यदि आप फर्म का पंजीकरण नहीं कराते, तो आप कुछ लाभों से वंचित रह सकते हैं। इसलिए पंजीकरण करा लेना उचित होगा। पंजीकरण न कराने के कुछ बुरे परिणाम इस प्रकार हैं:
- आपकी फर्म दावों के निपटारे के लिए किसी दूसरी पार्टी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती।
 - यदि साझेदारों में आपस में कोई विवाद हो जाए तो इसके समाधान के लिए न्यायालय की सहायता नहीं ली जा सकती।
 - आपकी फर्म बकाया या भुगतान के मामले में किसी दूसरी पार्टी से समायोजन का दावा न्यायालय में नहीं कर सकती।
- vii) **स्वामी एजेंट संबंध** : किसी भी फर्म के साझेदार व्यवसाय के संयुक्त स्वामी होते हैं। उन सबको इस फर्म के प्रबंधन में सक्रिय रूप से भाग लेने का समान अधिकार है। प्रत्येक साझेदार फर्म के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है। जब कोई साझेदार किसी अन्य पक्ष से व्यवसाय संबंधी लेनदेन करता है तो वह अन्य साझेदारों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और उसी समय अन्य साझेदार स्वामी बन जाते हैं इस प्रकार सभी साझेदारी फर्मों में साझेदारों के बीच आपस में स्वामी-एजेंट का संबंध होता है।



viii) **व्यापार की निरंतरता** : साझेदारी फर्म के किसी साझेदार के मरने, पागल या दिवालिया हो जाने से फर्म का अंत हो जाता है। इसके अलावा भी फर्म के सभी साझेदार जब चाहें साझेदारी समाप्त कर फर्म भंग कर सकते हैं।

3.7 साझेदारी व्यवसाय के लाभ

साझेदारी व्यवसाय के कुछ लाभ हैं, जो इस प्रकार हैं :

- i) **सरल स्थापना** : एकल स्वामित्व की तरह साझेदारी व्यवसाय का गठन भी आसान है और इसके लिए किसी कानूनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। साझेदारी फर्म का पंजीकरण भी आवश्यक नहीं है। साझेदार आपस में मौखिक या लिखित अनुबंध के आधार पर साझेदारी फर्म का गठन कर सकते हैं।
- ii) **अधिक संसाधनों की उपलब्धता** : चूंकि साझेदारी व्यवसाय का आरंभ दो या दो से अधिक व्यक्ति करते हैं, इसलिए इस व्यवसाय में एकल स्वामित्व की तुलना में अधिक पूँजी लगाई जा सकती है। एकल स्वामी की तुलना में साझेदार अधिक संसाधन लगा सकते हैं। साझेदार अधिक पूँजी लगा सकते हैं तथा व्यवसाय के लिए अधिक श्रम और समय दे सकते हैं।
- iii) **संतुलित निर्णय** : साझेदार ही व्यवसाय के स्वामी हैं। उनमें से प्रत्येक को व्यवसाय के प्रबंध में भाग लेने के समान अधिकार हैं। कोई मतभेद होने पर वे आपस में बैठ कर टकराव की स्थिति को टाल सकते हैं। इस व्यवसाय में सभी साझेदार आपस में मिल कर निर्णय लेते हैं। इसलिए निर्णय में जल्दबाजी और बिना सोचे समझे निर्णयों की गुंजाइश कम रहती है।
- iv) **हानियों का विभाजन** : साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदार मिल कर जोखिम उठाते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी साझेदारी फर्म में तीन साझेदार हैं और लाभों को बराबर विभाजित करते हैं तथा किसी समय फर्म को 12,000 रूपए की हानि होती है तो तीनों साझेदार चार-चार हजार की हानि का बोझ उठाएंगे।

3.8 साझेदारी व्यवसाय की सीमाएँ

इन सभी लाभों के बावजूद साझेदारी फर्म की कुछ सीमाएँ भी होती हैं। आइए इन सब सीमाओं की चर्चा करें :

- i) **असीमित देनदारी** : सभी साझेदार फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी असीमित स्तर तक उत्तरदायी होते हैं। इसलिए फर्म के ऋणों का भुगतान या तो सभी साझेदार मिलकर कर सकते हैं या फिर किसी एक साझेदार को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से सारे ऋणों का भुगतान करना पड़ सकता है।
- ii) **अनिश्चित अस्तित्व** : साझेदारी व्यवसाय का अपने साझेदारों से अलग कोई कानूनी अस्तित्व नहीं होता। किसी भी साझेदार की मृत्यु, दिवालियापन, अक्षमता या उसकी सेवानिवृत्ति से साझेदारी फर्म प्रायः समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त कोई भी असंतुष्ट साझेदार जब चाहे साझेदारी भंग करने का नोटिस दे सकता है।

पाठ्यक्रम - II

व्यवसायिक संगठनों के प्रकार



टिप्पणी

एकल स्वामित्व, साझेदारी तथा हिन्दू अविभाजित परिवार

- iii) **सीमित पूँजी** : चूँकि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती, इसलिए इसमें ज्यादा पूँजी की व्यवस्था कर पाना कठिन है। अतः साझेदारी में कोई बड़ा व्यवसाय प्रारंभ करना संभव नहीं है।
- iv) **शेयरों का हस्तान्तरण नहीं** : यदि आप किसी साझेदारी फर्म में हिस्सेदारी हैं तो दूसरे साझेदारों की सहमति के बिना आप किसी बाहरी पक्ष को अपना हित हस्तांतरित नहीं कर सकते। ऐसे में उस साझेदार को असुविधा होती है, जो फर्म से अलग होना चाहता है या अपना शेयर दूसरों को बेचना चाहता है।

3.9 सीमित दायित्व साझेदारी

एक ऐसा व्यावसायिक संगठन जिसमें पेशेवर निपुणता तथा उद्यमशीलता का सम्मिश्रण हो तथा जिसके प्रचालन में लचीलापन, नवप्रवर्तन व कुशल प्रविधि तथा आंतरिक संरचना को संगठित करते समय सदस्यों को सीमित दायित्व के लाभ प्राप्त करने की छूट हो, सीमित दायित्व साझेदारी कहलाती है।

- i. भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के चलते, इसके उद्यमियों की भूमिका तथा साथ ही इसकी तकनीकी व पेशेगत मानव शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। समयानुकूल यह महसूस किया गया कि उद्यमशीलता, ज्ञान व जोखिम पूँजी एक जुट होकर भारत की आर्थिक वृद्धि को और प्रोत्साहन दे। इसी पृष्ठभूमि में, इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि एक ऐसा निगमित संगठन स्वरूप हो जो परंपरागत साझेदारी संगठन का विकल्प उपलब्ध कराए जिसमें एक ओर तो असीमित व्यक्तिगत दायित्व हो तथा दूसरी ओर सीमित दायित्व कंपनी की प्रतिभा आधारित आधिकारिक संरचना हो।
- ii. सीमित दायित्व साझेदारी को एक ऐसे वैकल्पिक व्यवसाय के रूप में देखा गया है जो सीमित दायित्व के लाभ उपलब्ध कराता है परंतु साथ ही इसके सदस्यों को पारस्परिक समझौते पर आधारित साझेदारी के रूप में आंतरिक संरचना को संगठित करने का लचीलापन भी सुलभ कराता है। सीमित दायित्व साझेदारी स्वरूप उद्यमियों, पेशेवरों तथा उपक्रमों को किसी भी प्रकार की सेवा उपलब्ध कराने अथवा वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों में संलग्न होने में समर्थ बनाता है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कुशल वाणिज्यिक कार्य चला सकें। अपने संगठन तथा प्रचालन में लचीलेपन के कारण सीमित दायित्व साझेदारी, लघु उपक्रमों तथा नए पूँजी निवेश के लिए भी उपयुक्त है।
- iii. समय की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए संसद ने 'सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008' पारित किया जिसे 7 जनवरी 2009 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।


सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 की महत्वपूर्ण विशेषताएँ

- i. सीमित दायित्व साझेदारी एक निगमित संस्था होगी जिसका अपने साझेदारों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होगा। सीमित दायित्व साझेदारी स्वरूप बनाने के लिए कोई भी दो



अथवा अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ को दृष्टि में रखते हुए कानून सम्मत व्यवसाय चलाने के लिए निगमन प्रपत्र में अपने नामों को सम्मिलित करके पंजीयक के पास निगमन प्रपत्र जमा कर सकते हैं। सीमित दायित्व साझेदारी का शाश्वत अस्तित्व होगा।

- ii. सीमित दायित्व साझेदारी के साझेदारों के आपसी अधिकार तथा कर्तव्य और साझेदारों का अपनी फर्म से संबंधित एक समझौते द्वारा तथा 'सीमित दायित्व साझेदारी, अधिनियम, 2008' के प्रावधानों से नियमित होते हैं। अधिनियम, साझेदारों को उनकी इच्छानुसार समझौते को नया रूप देने का लचीलापन उपलब्ध कराता है। किसी समझौते की अनुपस्थिति में आपसी अधिकार तथा कर्तव्य, 'सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008' के प्रावधानों से शासित होते हैं।
- iii. सीमित दायित्व साझेदारी एक पृथक कानूनी इकाई होगी तथा अपनी संपत्तियों की सीमा तक उत्तरदायी होगी, साथ ही सभी साझेदारों का दायित्व भी सीमित दायित्व साझेदारी में उनके सहमत अनुपात तक सीमित होगा जो मूर्त अथवा अमूर्त अथवा दोनों प्रकार का हो सकता है। कोई भी साझेदार, अन्य साझेदारों द्वारा किए गए स्वतंत्र तथा अप्राधिकृत क्रियाकलापों अथवा बुरे आचरण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। जो साझेदार, लेनदारों को धोखा देने में संलग्न होंगे अथवा धोखेबाजी के उद्देश्य से कार्य करेंगे तो सीमित दायित्व साझेदारी के सभी प्रकार के दायित्वों हेतु ऐसे साझेदारों का दायित्व असीमित माना जाएगा।
- iv. प्रत्येक सीमित दायित्व साझेदारी में न्यूनतम दो साझेदार आवश्यक होंगे तथा न्यूनतम दो व्यक्तिगत साझेदार होंगे और उनमें से एक भारत का निवासी होना चाहिए। विशिष्ट कार्य हेतु साझेदार के अधिकार एवं कर्तव्य अधिनियम के अनुसार होने चाहिए।



पाठगत प्रश्न 3.2

कोष्ठक में दिए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में भरिए :

- i. साझेदारी फर्म का पंजीकरण _____ है। (आवश्यक नहीं, आवश्यक)
- ii. साझेदारी फर्म, व्यावसायिक संगठन का _____ स्वरूप है। (लचीला, बेलोचदार)
- iii. साझेदारी में व्यवसाय जोखिम सभी साझेदारों में _____ है। (बँटता, बँटता नहीं)
- iv. साझेदारी एक _____ प्रयास है। (सामूहिक, व्यक्तिगत)
- v. सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम वर्ष _____ में बना। (2008, 2010)



3.10 संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय का अर्थ

संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय होता है जिसका स्वामित्व एक संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों के पास होता है। इसे हिन्दू अविभाजित परिवार व्यवसाय भी कहते हैं। संगठन का यह स्वरूप हिन्दू अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है तथा उत्तराधिकार अधिनियम से नियंत्रित होता है। संयुक्त हिन्दू परिवार व्यावसायिक संगठन का ऐसा स्वरूप है जिसमें परिवार के पास पूर्वजों की कुछ व्यावसायिक संपत्ति होती है। संपत्ति में हिस्सा केवल पुरुष सदस्यों का होता है। एक सदस्य को पूर्वजों की इस संपत्ति में से हिस्सा अपने पिता, दादा तथा परदादा से मिलता है। अतः तीन आनुक्रमिक पीढ़ियाँ एक साथ विरासत में संपत्ति प्राप्त कर सकती हैं। संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय को केवल पुरुष सदस्य चलाते हैं जो कि व्यवसाय के सहभागी कहलाते हैं। आयु में सबसे बड़े सदस्य को कर्ता कहते हैं।



संयुक्त हिन्दू परिवार का एक दृश्य

3.11 संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय की विशेषताएँ

- i) **जन्म से सदस्यता :** परिवार में किसी भी बच्चे का जन्म होते ही उसे संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय की सदस्यता स्वतः ही मिल जाती है। इसे बनाने के लिए परिवार के सदस्यों के बीच कोई समझौता नहीं किया जाता।
- ii) **प्रबन्ध :** परिवार में सबसे बड़े सदस्य (कर्ता) के हाथों में इसका प्रबन्ध होता है। हालांकि कर्ता अन्य सदस्यों को अपनी मदद के लिए अपने साथ लगा सकता है।
- iii) **दायित्व :** कर्ता का दायित्व असीमित होता है अर्थात् व्यवसाय के दायित्वों का भुगतान करने हेतु उसकी निजी संपत्तियों को भी उपयोग में लाया जा सकता है। अन्य सभी सदस्यों का दायित्व हिन्दू अविभाजित परिवार की संपत्ति में उनके भाग तक सीमित होता है।
- iv) **कोई अधिकतम सीमा नहीं :** हिन्दू अविभाजित परिवार व्यवसाय के सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि इसकी सदस्यता केवल तीन आनुक्रमिक पीढ़ियों तक प्रतिबंधित है।
- v) **अवयस्क सदस्य :** परिवार में जन्म लेते ही कोई भी बच्चा इसका सदस्य बन जाता है। अतः हिन्दू अविभाजित परिवार अवयवों की सदस्यता को प्रतिबंधित नहीं करता।
- vi) **मृत्यु से अप्रभावित :** कर्ता सहित किसी भी सदस्य की मृत्यु के बाद भी हिन्दू अविभाजित परिवार व्यवसाय चलता रहता है। परिवार में अगला सबसे बड़ा जीवित सदस्य हिन्दू अविभाजित परिवार व्यवसाय का कर्ता बन जाता है। हालांकि परिवार के सभी सदस्य यदि यह घोषित करें कि अब वे संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय के सदस्य नहीं हैं, इसका समापन हो जाता है।




3.12 संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय के गुण

- i) **आर्थिक सुरक्षा तथा सदस्यों की प्रतिष्ठा :** संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय सदस्यों को सुरक्षा की भावना तथा प्रतिष्ठा उपलब्ध कराता है क्योंकि वे उसमें वित्तीय हित रखते हैं। अन्य लोगों के साथ व्यवहार करते समय यह उन्हें समाज में प्रतिष्ठा भी दिलाता है।
- ii) **व्यवसाय की निरंतरता :** व्यवसाय में निरंतरता बनी रहती है। कर्ता सहित किसी भी सदस्य की मृत्यु अथवा पागलपन से यह प्रभावित नहीं होता है। जब तक परिवार के सभी सदस्य इसे बंद करने का निर्णय नहीं लेते, तब तक यह निरंतर चलता रहता है।
- iii) **परिवार गौरव :** सदस्य अपनी पूर्ण लगन, निष्ठा तथा जिम्मेदारी से कार्य करते हैं क्योंकि कार्य के साथ परिवार का नाम संलग्न होता है। व्यवसाय केवल एक व्यावसायिक इकाई ही नहीं बल्कि परिवार की प्रतिष्ठा का मामला होता है।

3.13 संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय की सीमाएँ

- i) **असीमित दायित्व :** सभी व्यावसायिक कर्तव्यों के लिए कर्ता व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। व्यवसाय के ऋणों के भुगतान हेतु यदि व्यवसाय की संपत्तियाँ अपर्याप्त हैं तो उसकी निजी संपत्तियाँ भी बेची जा सकती हैं।
- ii) **सीमित पूँजी :** कर्ता के पास पूँजी प्राप्त करने के सीमित स्रोत होते हैं। विस्तार हेतु उसकी अपनी निधियाँ अपर्याप्त होती हैं। यह वृद्धि के अवसरों को घटाता है।
- iii) **कर्ता के पास अधिक शक्तियाँ :** एक अकुशल कर्ता व्यवसाय को बर्बादी की ओर ले जा सकता है क्योंकि सभी व्यावसायिक निर्णय उसी के द्वारा लिए जाते हैं।
- iv) इस प्रकार का व्यवसायिक संगठन संयुक्त हिन्दू परिवार का प्राकृतिक आर्थिक विस्तार है। यह अपने सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा तथा प्रतिष्ठा प्रदान करता है। इसका भारतीय व्यवसाय में अहम स्थान रहा है।



पाठगत प्रश्न 3.3

I. उचित शब्द/शब्दों का चयन करके रिक्त स्थान भरिए :

- i. हि.अ.प. का पूरा नाम _____ है।
- ii. _____ आनुक्रमिक पीढ़ियाँ पूर्वजों की सम्पत्ति को एक साथ विरासत में प्राप्त कर सकती हैं।
- iii. संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों को _____ कहते हैं।
- iv. संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य को _____ कहते हैं।
- v. _____ का दायित्व असीमित होता है।

II. बहुविकल्पीय प्रश्न

- i. हिमांशी एकल स्वामी के रूप में व्यवसाय चला रही है। व्यवसाय में हानि होने के कारण वह व्यवसाय के समापन का निर्णय लेती है। समापन के दिन

- सीमित दायित्व साझेदारी सीमित दायित्व के लाभ उपलब्ध कराता है परंतु साथ ही इसके सदस्यों को पारस्परिक समझौते पर आधारित साझेदारी के रूप में आंतरिक संरचना को संगठित करने का लचीलापन भी सुलभ कराता है।
- संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय से अभिप्राय ऐसे व्यवसाय से है, जिसका स्वामित्व एक संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों के पास होता है।
- परिवार के सबसे बड़े सदस्य को कर्ता कहते हैं।
- संयुक्त हिन्दू परिवार द्वारा चलाये जा रहे व्यापार के संचालन के लिए पुरुष सदस्य ही अधिकृत होते हैं, जिन्हें सहसाझेदार कहा जाता है।



पाठांत प्रश्न

1. एकल स्वामित्व की परिभाषा दीजिए।
2. एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय संगठन से क्या अभिप्राय है?
3. क्या एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय का अस्तित्व हमेशा के लिए रह सकता है?
4. स्पष्ट कीजिए कि किस तरह 'एकल स्वामित्व' व्यवसाय, में रोजगार के अवसर पैदा करता है।
5. बैंकिंग व्यवसाय करने वाली फर्म तथा गैर-बैंकिंग व्यवसाय करने वाली फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या बताइए।
6. साझेदारी को परिभाषित कीजिए।
7. व्यावसायिक संगठन के साझेदारी स्वरूप की कोई चार विशेषताएँ बताइए।
8. संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय को परिभाषित कीजिए।
9. संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय की विशेषताएँ बताइए।
10. सीमित दायित्व साझेदारी की मुख्य विशेषताएँ लिखिए।



पाठगत प्रश्नों के उत्तर

- 3.1** (i) पूँजी (ii) एकल स्वामी (iii) प्रबन्ध (iv) श्रम (v) लघु, स्थानीय
- 3.2** (i) आवश्यक नहीं (ii) लचीला (iii) बँटता (iv) सामूहिक (v) 2008
- 3.3** **I.** (i) हिन्दू अविभाजित परिवार (ii) तीन (iii) सहभागी
(iv) कर्ता (v) कर्ता
- II.** (i) ख (ii) ग (iii) क (iv) घ (v) ग

आपके लिए क्रियाकलाप

- अपने आसपास के विभिन्न व्यवसायों का सर्वेक्षण करके पता लगाइए कि वे एकल व्यापार, साझेदारी अथवा संयुक्त हिन्दू परिवार व्यवसाय हैं। उन विशेषताओं को भी लिखिए जिनके आधार पर वे एक दूसरे से भिन्न हैं।

